प्रेस नोट 16.04.2021

145 शीशी (200 मिली0) अवैध देशी शराब तथा 10 लीटर अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के अन्य उपकरण यूरिया, नौसादर, फिटकरी आदि के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद मे शान्तिपूर्वक आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ महोदय के आदेश के अनुपालन मे प्रभारी निरीक्षक थाना रानीपुर मऊ के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरूद्द अभियान के क्रम में दिनांक 15.4.2021 को समय करीब 13.30 बजे उमती बाजार मे हार्डबेयर की दुकान मे **स्वतन्त्र यादव पुत्र ईश्वचन्द यादव निवासी ग्राम उमती थाना रानीपुर जनपद मऊ प्रधान पद का प्रत्यासी** के द्वारा अपमिश्रित शराब बनाकर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदाताओ को प्रभावित करने हेतु बाटा जा रहा था, मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दविश देकर मय माल बरामदगी 145 शीशी 200 मिली की देशी शराब व 10 लीटर अपमिश्रित शराब, 2 कि0ग्रा0 यूरिया, 500ग्रा0 नौसादर तथा 500 ग्राम फिटकरी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया तथा अन्य भागने मे सफल रहे। इस स म्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 49/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम तथा धारा 272,273,468 भादवि0 तथा 123 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण–

1. स्वतन्त्र यादव पुत्र ईश्वचन्द यादव निवासी ग्राम उमती थाना रानीपुर जनपद मऊ (**गिरफ्तार**)
2. जगदीश यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी ग्राम उमती थाना रानीपुर जनपद मऊ (**फरार**)
3. प्रमोद यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी ग्राम उमती थाना रानीपुर जनपद मऊ (**फरार**)
4. विनोद यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी ग्राम उमती थाना रानीपुर जनपद मऊ (**फरार**)

बरामदगी–

1. 145 शीशी (200 मिली0) की देशी शराब बन्टी बबली का फर्जी रैपर लगा हुआ।
2. 10 लीटर अपमिश्रित शराब एक जरिकैन मे।
3. 2 कि0ग्रा0 यूरिया
4. 500 ग्राम नौसादर
5. 500 ग्राम फिटकरी

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक थाना रानीपुर अखिलेश कुमार, उ0नि0 धनन्जय सिंह, आबकारी निरीक्षक सुरेश कुमार, का0 सन्तलाल, का0सि0 राजेश कुमार सोनकर, म0आ0सि0 शबनम, म0आ0सि0 वीरेन्द्र कुमार।

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार–

दिनांक 15.04.2021 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रामलीला मैदान दुबारी के पास से जरिये मुखबिर की सूचना पर विजय शंकर तिवारी पुत्र स्व0 स्वामीनाथ तिवारी निवासी हसनपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 168/21 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 3900 रूपये बरामद–

दिनांक 15.04.2021 को थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 102/21 धारा 379,411 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण किशनिया माली पुत्र शेर सिंह व मंगल माली पुत्र सोनिहा माली निवासीगण अनियाईपुर थाना चौसा जनपद बक्सर बिहार के कब्जे से चोरी के 3900 रूपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि वादी रामबदन चौहान निवासी नसीराबाद द्वारा थाना स्थानीय को प्रार्थना पत्र दिया गया था कि बैक रतनपुरा से आते हुए अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी का रूपया चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

शांति भंग की आशंका में 13 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 16.04.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा जयहिंद, रिंकू निवासीगण रैनी, अबु हंजला निवासी मोमीनपुरा थाना दक्षिणटोला, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा विपिन, प्रमोद निवासीगण नसीराबाद, राममंगल, जयहरी निवासीगण नगवा थाना हलधरपुर, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा जयहिंद निवासी एकौना थाना मुहम्मदाबाद, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा रामअवध, सुभाषचन्द्र, रामनवल, रामानन्द निवासीगण औनहाइच थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।